an>

Title: Regarding change in law made for the benefit of motor companies.

श्री राजकुमार सैनी (कुरुक्षेत्र) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे एक अति महत्वपूर्ण विÂाय पर शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यह एक ऐसा व्यवसाय है, जिसके लोग दिन-रात जागकर पूरे देश के लोगों की सेवा करते हैं और खुद भूखे रहते हैं। आज ट्रकों का व्यवसाय बहुत ही घाटे में जा रहा है। आज हमारी सरकार देश में फैले भ्रÂटाचार पर रोक लगाना चाहती है, परंतु बड़ी मोटर कंपनियों ने कुछ ऐसे नियम बना रखे हैं जिससे कि उनके वाहन ज्यादा से ज्यादा बिकें। उदाहरण के तौर पर जैसे 6 ट्रक टायर नौ टन पास है। परंतु यह 18 से 20 टन तक की ढुलाई कर सकता है। इसी प्रकार से दस टायर वाला ट्रक 15 टन पास है, जबकि उसकी कैपेसिटी 30 से 35 टन तक की ढुलाई करने की है। परंतु खर्चा निकालने के लिए यदि वह ओवरलोड करता है तो वह लुटता है। उसे हर स्टेट की पुलिस चालान का भय दिखाकर लूटती है। परंतु इसके विपरीत यदि 6 टायर वाली गाड़ी की पासिंग 15 टन और 10 टायर वाली गाड़ी की कैपेसिटी को 30 टन तक रखा जाए, इससे न केवल देश में डीजल की बचत होगी, बल्कि ट्रैफिक के अत्यधिक रश पर भी कंट्रोल रहेगा तथा जो करोड़ों लोग इस रोजगार से जुड़े हैं, उनके बच्चों को कम से कम दो वक्त की रोटी नसीब हो जायेगी। इससे माल भी सस्ते में ढुलेगा और महंगाई भी कंट्रोल में आएगी। मैं बताना चाहता हूं कि दूसरे देशों में भी इस तरह के ट्रकों की क्षमता ज्यादा रखी हुई है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं कि सदन और सरकार इस पर विशेÂा ध्यान दे तथा जो कानून मोटर कंपनियों के हित में बनाये गये हैं, वे ज्यादा से ज्यादा जनता और इस व्यवसाय के हित में बनाये जाएं। धन्यवाद।